SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

विधान सभा निर्वाचन 2023 के परिपेक्ष्य में युवा मतदाताओ की भूमिका–धमतरी जिले के विशेष संदर्भ में

पंकज जैन, विधि विभाग
बी. सी. एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
पंकज जैन

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 23/10/2023
Revised on : -----
Accepted on : 31/10/2023
Plagiarism : 03% on 23/10/2023

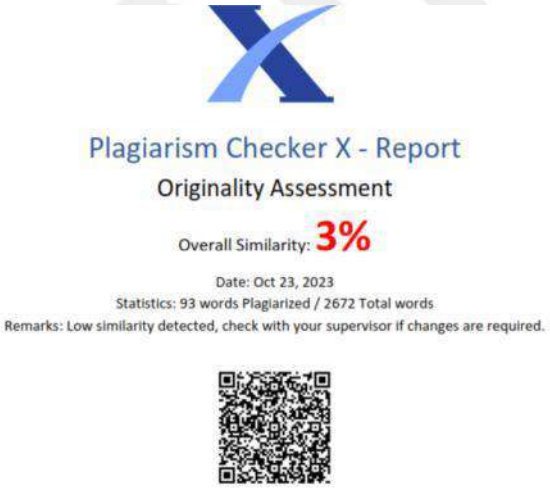

शोध सार

विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिपेक्ष्य में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. के निर्देशानुसार समस्त जिले मे निरन्तर स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से जनसमान्य को शत–प्रतिशत मतदान करने हेतु सभी को निरन्तर जागरूक किया जा रहा है विशेष कर 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाता को मतदान प्रक्रिया से जोडने हेतु विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके। युवाओं की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैने उक्त विषय पर अपना शोध प्रस्तुत किया है ताकि मतदान प्रक्रिया में युवाओं की भूमिका पर अध्ययन किया जा सके। उक्त शोध में मैंने समाचार पत्र, इंटरनेट, पुस्तकों से आंकड़े लेकर युवाओं को निर्वाचन में भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने एवं मजबूत जनतंत्र के निर्माण में युवा वर्ग को भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

मुख्य शब्द

निर्वाचन, युवावर्ग, मतदान, चुनाव.

प्रस्तावना

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में स्वीप कार्यक्रम स्कूल, कॉलेजो, पंचायतो, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पतालो, जिला कार्यालयो, महिला एवं बाल विकास सहित सभी स्थानों में चलाया जा रहा है ताकि युवा वर्ग को मतदान प्रक्रिया से जोड़ा जा सके एवं मतदान का प्रतिशत बनाया जा सके। इसी परिपेक्ष्य में धमतरी जिले में भी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं स्वीप नोडल अधिकारी जिला धमतरी के मार्गदर्शन में समस्त शैक्षिणिक संस्थानों, समस्त

सरकारी कार्यालय द्वारा सार्वजनिक स्थान, बाजार, बस्ती एवं भीड़ वाले स्थान में नियमित रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर जन सामान्य को शतप्रतिशत मतदान करने हेतु निरन्तर जागरूक किया जा रहा है जिसमें महिला मतदाता, दिव्यांग मतदाता सहित विशेष रूप से युवा वर्ग के मतदाताओं को निरंतर जागरूक किया जा रहा हैं विशेष कर 18 से 19 वर्ष के ऐसे युवा मतदाता जिनका वोटर कार्ड नहीं बन पाया है उन्हे अनिवार्य रूप से वोटर कार्ड बनवाने एवं शतप्रतिशत मतदान करने हेतु प्रेरित कया जा रहा है ताकि विधानसभा निर्वाचन 2023 में युवा वर्ग अपनी भूमिका अदाकर कर मतदान का प्रतिशत बढ़ा सके।

शोध उपकल्पनाएं

उक्त विषय पर अध्ययन करने के पीछे मेरी उपकल्पनाएं इस प्रकार थी:

H_1 मतदान प्रक्रिया के प्रति युवा वर्ग की रुचि।

H_2 मतदान प्रक्रिया के प्रति युवा वर्ग में जानकारी का अभाव।

H_3 वोटर कार्ड बनवाने हेतु युवा वर्ग की जागरूकता।

H_4 चुनाव में बढ़ते धनबल की भूमिका का युवाओ पर प्रभाव।

H_5 ई. वी. एम., वी. वी. पैड. के विषय में युवा मतदाताओं की अपूर्ण जानकारी

शोध उद्देश्य

उक्त विषय पर अध्ययन हेतु मेरा निम्नलिखित उद्देश्य रहा:

01. मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु युवा वर्ग की शतप्रतिशत भागीदारीं सुनिश्चित करना।
02. जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्वीपव कार्यक्रमों से युवा वर्ग को जोड़ना।
03. मजबूत लोकतंत्र के निर्माण हेतु युवाओं की भूमिका तय करना।
04. युवा वर्ग को एक–एक वोट के महत्व को बताना।
05. युवाओं को धन बल की प्रवृत्ति के परिणाम को समझाना एवं निर्भिक होकर मतदान करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से।

शोध का सिंहावलोकन

उक्त विषय पर अध्ययन के पूर्व मैने उक्त विषय पर किए गए कुछ पूर्व के शोध का अध्ययन कर कुछ नई जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

शोध प्रविधि

उक्त अध्ययन में मैंने द्वितीय, स्रोतों का प्रयोग किया है एवं द्वितीयक, स्रोतों मे मैने पुस्तक, समाचार पत्रों, इंटरनेट, जर्नल्स, न्यूज चैनल, पत्रिकाओं की सहायता से कुछ नवीन जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

मताधिकार का अर्थ

मताधिकार का अर्थ है वोट देने का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र को पूर्ण कर चुका है उसे निर्वाचन में वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाता है। इस अधिकार का प्रयोग कर वह अपने पसंद के व्यक्ति को वोट देकर मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योकि यह अधिकार बतता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो उसे वोट देने का अधिकार हैं। मतदान एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है लोकतंत्रात्मक सरकार में मतदान को बहुत महत्व प्रदान किया जाता है भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को देश के संविधान द्वारा विभिन्न निर्वाचनों में अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। लोकतंत्र की नीवं मताधिकार पर ही रखी जाती है जिस देश में जितने अधिक नागरिक को मताधिकार प्राप्त रहता है उस देश को उतना ही अधिक लोकतांत्रिक समझा जाता है।

मतदाता जागरूकता

एक–एक वोट के महत्व को समझना, मतदान के अधिकार के प्रति जागरुकता ,मतदान के महत्व को समझना एवं अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग कर सही प्रतिनिधि चुनकर मजबूत लोकतंत्र का नींव रखना ही मतदान जागरूकता है।

युवा मतदाता

वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिपेक्ष्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले समस्त युवा मतदाताओं का ईपीक कार्ड बनवा जा रहा है ताकि ऐसे युवा मतदाता भी आगामी विधानसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, निश्चित रूप में प्रजातंत्र में युवा मतदाताओं की भूमिका काफी अहम होती है जब प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा तभी तो राष्ट्र सशक्त होगा।

व्यस्क मताधिकार

अनुच्छेद 325 कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन तथा राज्य के विधानमंडल सदन हेतु निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हेतु एक साधारण निर्वाचक नामवाली होगी जिसमें सभी सदस्यों को निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा। धर्म, मूलवंश, जाति ,लिंग या इसमें से किसी आधार पर कोई अपात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य के विधानसभा हेतु निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है एवं 18 वर्ष से कम ना हो तथा संविधान या समुचित विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के आधार पर अनिवास चित विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचार, के आधार पर अनर्ह नहीं किया गया हो ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है।

निर्वाचन

भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की है जिसका निर्वाचन जनता करती है जिसमें निष्पक्ष चुनाव करने हेतु भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के द्वारा की गई है। अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचनों का निरीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण करने हेतु निर्वाचन आयोग का स्थापना की गई है जो की एक स्वतंत्र निकाय है।

एस. एस. धनोवा बनाम भारतसंघ 1: इस मामले में निर्धारित किया गया के अनुच्छेद 324 (2) के अधीन निर्वाचन आयुक्तो की नियुक्ति एवं पदच्युति कि शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

विवेकानंद गिरी बनाम नवल किशोर 2: इसमें निर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति के नामांकन को तब तक का अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उसमें सारवान प्रकृति की त्रुटि न हो।

छत्तीसगढ़ विधान सभा निर्वाचन 2023: छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2 चरणों में सम्पन्न होने है उसके लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। संशोधित मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक मतदाता (80 वर्ष से अधिक) 1 लाख 86 हजार 215 है। सर्विस वोटर कि कुल संख्या 19 हजार 839 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 60 हजार 955 है। तृतीय लिंग समुदाय के 790 मतदाता है। (स्त्रोतः नवभारत दिनांक 05.10..2023 पृष्ठ क्रमांक 05)

धमतरी जिले के तीनो विधानसभा की स्थिति

क्र.	विधानसभा का नाम / क्रमांक	कुल मतदाता	पुरूष मतदाता	महिला मतदाता	तृतीय लिंग मतदाता
1	धमतरी 58	2,19,689	10,7,443	1,12,240	6
2	सिहावा 56	1,93,078	94375	98701	2
3	कुरूद 57	2,08,382	1,04,338	1,04,042	2
	कुल	6,21,149	3,06,156	3,14,983	10

(स्त्रोतः नवभारत दिनांक 10.10..2023 पृष्ठ क्रमांक 04)

प्रदेश में युवा मतदाताओ की स्थिति– छ.ग. में 18–19 आयुवर्ग समूह के कुल 7 लाख 23 हजार 771 मतदाता है जो कि पहली बार विधान सभा चुनाव मे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

छ.ग में युवा मतदाताओं (18–19 वर्ष की स्थिति)

विधानसभा का नाम	18–19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या
पंडरिया	14588
नवागढ़	13215
कसडोल	12074
साजा	11800
जैजैपुर	11717
बेमेतरा	11698
रामानुज गंज	11639
सामरी	11517
प्रतापपुर	11064
बिलाईगढ	10982
पामगढ	10509
भटगांव	10270
सारंगढ	10233
प्रेमनगर	10091
धरमजयगढ़	10065
सक्ती	9490
अंबिकापुर	9351
कुरूद	9325
खरसिया	9314
अकलतरा	9288
गुंडरदेही	9275
जांजगीर चांपा	9245
संजारी बालोद	9157
भानुप्रतापपर	9010
अंतागढ़	8954
केषकाल	8930
बिल्हा	8905
खैरागढ	8892
बलौदाबाजार	8821
लैलूंगा	8794
चंद्रपुर	8773
भरतपुर सोनहत	8467
सिहावा	8408
अभनपुर	8381
राजिम	8353
कोण्डागांव	8318
जगदलपुर	8308
मस्तुरी	8305
मूंगेली	8271
जशपुर	8178
रायगढ	8148
लोरमी	8041
रायपुर ग्रामीण	7855
कांकेर	7843
बसना	7617
कटघोरा	7603
डोंगरगढ	7595
डौडी लोहारा	7593
लुंड्रा	7577
आरंग	7482
बस्तर	7385
खुज्जी	7372
बिन्द्रानवागढ़	7338
पाटन	7330
नारायणपुर	7328
रामपुर	7283
कोरबा	7232
पालीतानाखार	7217
धमतरी	7189
राजनांदगांव	7121
डोंगरगढ़	7062
भाटापारा	7044
सीतापुर	6998
दंतेवाड़ा	6852
तखतपुर	6802
चित्रकोट	6619
धरसीवां	6507
सरायपाली	6456
बैकण्ठपुर	6393

पत्थरगांव	6364	महासमुद	5395
वैशालीनगर	6282	बेलतरा	5379
खल्लारी	6209	मरवाही	5201
अहिवारा	6200	रायपुर पश्चिम	4832
कुनकुरी	6160	मनेन्द्रगढ	4716
कोटा	5890	बीजापुर	4683
दुर्ग ग्रामीण	5660	भिलाईनगर	4499
दुर्ग शहर	5583	रायपुर दक्षिण	4484
कोंटा	5570	बिलासपुर	3835
मोहला मानपुर	5481	रायपुर उत्तर	2699

(स्त्रोतः नवभारत दिनांक 06.10..2023 पृष्ठ क्रमांक 02 धमतरी पेज)

धमतरी जिला में युवा वर्ग मतदाता की स्थितिः द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1.10.2023 के तहत 2 अगस्त 2023 की स्थिति में 18 से 19 वर्ष युवा वाले मतदाताओं की संख्या 15488 थी एवं 4 अक्टूबर 2023 की स्थिति में यह 24922 हो गई है जिसमें 9434 मतदातों में वृद्धि हुई है।

इसी तरह 20 से 29 वर्ष आयु वाले मतदाताओं की संख्या 2 अगस्त 2023 की स्थिति में 137864 थी जो कि दिनांक 4 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 147841 हो गई है। इसमें 9977 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। (स्त्रोतः नवभारत 05.10.2023, पृ.क्र.04)

क्र.	आयु वर्ग	मतदाता की संख्या	विधानसभा वार युवा मतदाता
1	18–19	24,922	कुरूद 9325 विधवा 8408 धमतरी 7189
2	20–29	1,47,841	

(स्त्रोतः नवभारत दिनांक 10.10..2023 पृष्ठ क्रमांक 04)

समस्या

विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिपेक्ष में युवा मतदाताओं की सक्रिय भूमिका के संबंध में निम्नलिखित समस्या दृष्टिगोचर होती हैः

(1) **ईपिक कार्ड जानकारी संबंधितः** 18–19 वर्ष वाले नए मतदाताओं में अधिकांश ईपिक कार्ड बनवाने की प्रक्रिया से अनभिज्ञ है जो मतदान की प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में बहुत बड़ी समस्या है।

(2) **विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से अनभिज्ञः** 18 वर्ष पूर्ण करने वाले अधिकांश मतदाताओं को जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के पूर्ण जानकारी ना होना भी एक बड़ी समस्या है।

(3) **मतदान के प्रति जागरूकता का अभावः** 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नए मतदाताओं में मतदान के महत्व एक–एक वोट के महत्व मजबूत लोकतंत्र का तीव्र इत्यादि के संबंध में जागरूकता का अभाव होना भी एक बड़ी समस्या है

(4) **स्वीप कार्यक्रम में हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम होनाः** नए मतदाता का जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम में हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम होना भी एक समस्या है।

(5) **उदासीनताः** 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नए मतदाता में निर्वाचन के प्रति अभी भी उदासीनता की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

(6) **मतदान प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी ना होनाः** 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं को अभी भी निर्वाचन प्रक्रिया के संपूर्ण जानकारी नहीं है जो बहुत बड़ी समस्या है।

(7) **शत प्रतिशत युवा मतदाता का ही इपिक कार्ड न बना होनाः** अभी भी कुछ पात्र युवा मतदाता ऐसे है जो पात्र होने के बावजूद अपना इस समय इपिकार्ड नहीं बनवाए हैं जिसमें मतदाता मतदान में वह अपना कर्तव्य नहीं निभा सकेगे।

सुझाव

विधानसभा निर्वाचन के परिपेक्ष में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने एवं युवा मतदाताओं की भूमिका तय करने के संबंध में कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैः

(1) **युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता का संचारः** विधानसभा निर्वाचन में युवाओं की भूमिका तभी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जब युवा वर्ग शत प्रतिशत मतदान करने की दिशा में जागरूक रहे एवं सभी वर्ग के लोगों को भी इस दिशा में जागरूकता करें।

(2) **विशेष संक्षिप्त पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम के प्रति जागरूकताः** निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्येक जिले में चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम 2023 की युवा वर्ग को पूर्णता जानकारी प्रदान की जाये। ताकि वे मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से अपना नाम जुड़वा कर मतदान कर अपना योगदान दे सके।

(3) **इपिक कार्ड की ऑनलाइन ऑफलाइन प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान होनाः** नए मतदाताओं को इपिक कार्ड बनवाने की ऑनलाइन ऑफलाइन प्रक्रिया (प्रपत्र 06) एवं ऑनलाइन प्रक्रिया (वोटर हेल्पलाइन एप) इत्यादि की पूर्ण जानकारी होना जरूरी है ताकि वे अनिवार्य रूप से इपिक कार्ड बनवाएं।

(4) **स्वीप कार्यक्रम में महत्वपूर्ण हिस्सेदारीः** जिला प्रशासन द्वारा स्कूल कॉलेज एवं जिले में नियमित रूप से चलाया जा रहे स्वीप कार्यक्रम में युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास सभी जिला में किया जा रहा है क्योंकि युवा यदि मतदान के प्रति जागरूक होंगे तभी राष्ट्र सशक्त होगा अतः आवश्यकता इस बात की है कि युवा वर्ग के मतदाताओं को स्वीप कार्यक्रम में हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास निरंतर किया जावे।

(5) **मतदान की प्रक्रिया से अवगत करानाः** वर्तमान में वोटिंग मशीन, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वी.वी. पैट की प्रक्रिया से समस्त युवा वर्ग के मतदाताओं को पूर्ण जानकारी प्रदान किया जाये किया जाए ताकि वह मतदान की पूरी प्रक्रिया को समझ सके एवं मतदान में अपने हिस्सेदारी दे सके।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिपेक्ष में धमतरी जिला सहित पूरे प्रदेश में युवा वर्ग के मतदाता की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। 6 अक्टूबर 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 18 से 19 वर्ष तक के कुल 723771 मतदाता है जिसमें धमतरी जिले में 18 से 19 वर्ष आयु की कुल 24922 मतदाता है एवं 20 से 29 वर्ष के 147841 मतदाता है। निश्चित रूप से मतदाता का प्रतिशत बढ़ाने में यह युवा मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका द्वारा करेंगे। युवा मतदाताओं की चुनाव में सक्रिया का प्रमाण चुनाव के परिणामों पर असर डाल सकता है क्योंकि 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाता पहली बार निर्वाचन में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य की 16 विधानसभा सीटें ऐसी है जिसमें 18 से 19 वर्ष के युवा वर्ग के 10,000 से ज्यादा मतदाता पंजीकृत है। इसके अलावा शेष विधानसभा सीटों में भी इस आयु वर्ग के युवा मतदाता चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य सहित धमतरी जिले में भी 01 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी युवा मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु विशेष संशोधित पुनरीक्षण अभियान में निरंतर चलाया जा रहा है यह अभियान स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंदो ग्रामीण बस्तियों सहित जिले के संपूर्ण स्थान में नियमित चलाया जा रहे हैं ताकि मतदाता मतदान से वंचित न हो एवं मतदाता की शत प्रतिशत भागीदारी निर्वाचन में ली जा सके। निश्चित रूप से विधानसभा निर्वाचन

2023 में युवा मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। विभिन्न स्कूलों में एवं कॉलेज में अध्यनरत 18 से 19 वर्ष की युवा मतदाताओं पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे एवं निर्वाचन में भागीदारी में निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका युवा वर्ग की साबित होगी एवं मतदान का प्रतिशत भी बढ़ने की पूर्ण संभावना है। अतः स्पष्ट है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में युवा वर्ग के मतदाताओं की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी।

संदर्भ सूची

1. ए.आई.आर 1991 एस.सी.1745।
2. (1984) 2 एस.सी.सी. 10।
3. पाण्डेय डॉ जयनारायण (2001) भारत का सविधान तैतीस्वा सस्करण।
4. नवभारत (2023 अक्टूबर 10) धमतरी पृ. 04।
5. नवभारत (2023 अक्टूबर 05) धमतरी पृ. 04।
6. नवभारत (2023 अक्टूबर 06) धमतरी पृ. 02।
7. नवभारत (2023 अक्टूबर 05) धमतरी मुख्य पृ. 01।
8. नवभारत (2023 अक्टूबर 05) धमतरी पृ. 05।

****